भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

सत्यमेव जयते

fssai

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से सूचना, शिक्षा तथा संचार (आई. ई. सी.) क्रिया-कलाप करने के लिए खाद्य संरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों सहित केंद्र / राज्य सरकार की एजेंसियों, उपभोक्ता संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों को सम्मिलित करने की योजना।

*****

1. प्रस्तावना

1.1 भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ. एस. एस. ए. आई.) की स्थापना देश में मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने और उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात के विनियमन के लिए की गई है। खाद्य संरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकरण अन्य बातों के साथ- साथ देश के विभिन्न हिस्सों में अधिनियम के प्रवर्तन तथा प्रशासन का सर्वेक्षण, खाद्य उपभोग तथा वैयक्ति जोखिम में घटना की पहलुओं और जैविकीय जोखिम की मौजूदगी, खाद्य में संदूषकों, विभिन्न संदूषकों के अवशिष्ट आदि से संबंधित प्रासंगिक सूचना की छानबीन, संग्रह तथा विश्लेषण करेगा। प्राधिकरण खाद्य संरक्षा तथा खाद्य मानकों के लिए सामान्य जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है।

1.2 खाद्य प्राधिकरण इस दिशा में मीडिया के साथ- साथ विभिन्न संगठनों तथा संस्थानों के साथ मिलकर सूचना, शिक्षा तथा जागरूकता का प्रचार-प्रसार करता रहा है। परंतु अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों और एतदधीन विनियमों के प्रभावी प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को करना है और यह देखते हुए कि इन क्रिया-कलापों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अतः इस हेतु एक योजना की आवश्यकता को बढ़ा-चढ़ाकर कहने की जरूरत नहीं है।

2. योजना के उद्देश्य

खाद्य संरक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा नाजुक हितधारक उपभोक्ता है जो देश में खाद्य संरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अतः प्राधिकरण के लिए उपभोक्ताओं को साथ रखना तथा उन्हें खाद्य संरक्षा की उभरती प्रवृतियों से अवगत कराना आवश्यक है जिससे कि उपभोक्ताओं के हितों का देश की खाद्य संरक्षा प्रणाली में समुचित रूप से प्रतिबिंबित

किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए खाद्य संरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों सहित केंद्र / राज्य-सरकार की एजेंसियों, उपभोक्ता संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य संस्थानों को आमंत्रित करने तथा उनसे प्रसंस्करण प्रस्तावों हेतु योजना तैयार की गई है। इस योजना में उन अनुसंधान तथा विकास कार्य करने के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं जो अलग योजना से विनियमित होंगे।

3. योजना के संघटक

इस योजना में वृहत रूप से तीन संघटक शामिल हैं जिसके लिए एफ. एस. एस. ए. आई. द्वारा सहायता उपलब्ध कराने का विचार है।

3.1 अध्ययन / सर्वेक्षण:-

- ❖ मुख्य खाद्य उत्पादों / अवयवों का परीक्षण करना, और
- ❖ एफ. एस. एस. (लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची IV के अनुसार खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले स्वास्थ्यकारक पैरामीटर से संबंधित सर्वेक्षण सहित खाद्य संरक्षा के विविध पहलुओं से जुड़े सर्वेक्षण को करना।

3.2 प्रशिक्षण/ क्षमता निर्माण/ जागरूकता कार्यक्रम

- ❖ लघु खाद्य व्यवसाय संचालकों या गली -कूचे के खाद्य विक्रेताओं का क्षमता निर्माण तथा कौशल उन्नयन।
- ❖ नवीन परियोजना जिनमें समुदाय में खाद्य संरक्षा पद्धतियों, स्वास्थ्यकारक स्तरों को बढ़ाना, खाद्य लेबलों को पढ़ने की आदत बढ़ाना शामिल हैं।
- ❖ खाद्य संरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान जिसमें विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में छात्रों /शिक्षकों /माता-पिता के लिए खाद्य लेबलों को पढ़ने की महत्ता, मिलावट का पता लगाना, स्वास्थ्यकारक पद्धतियों, उपभोग हेतु खाद्य का चयन आदि।
- ❖ अन्य हितधारकों के लिए खाद्य संरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान।

3.3 खाद्य संबंधी क्षेत्र में विभिन्न समारोहों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं में एफ. एस. एस. ए. आई. की सहायता / सहभागिता

- ❖ प्राधिकरण उन खाद्य संबंधी समारोहों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं में सहायता प्रदान करेगा या सहभागी होगा जिनका आयोजन या सहायता किसी सरकारी निकाय चाहे वे केंद्र / राज्य के हों या 'लाभ के लिए नहीं' कंपनियों / सोसाइटियों / ट्रस्टों या प्रतिशिष्ट उपभोक्ता संगठनों द्वारा किया जाता है।

- ❖ उन समारोहों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका आयोजन दिल्ली / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन. सी. आर.), मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तथा 'ए' श्रेणी के शहरों में किया जाता है।
- ❖ सहायता / सहभागिता स्मारिका में खाद्य संरक्षा संबंधी सामान्य जागरूकता के लिए विज्ञापन प्रकाशन या स्टॉल स्थापना आदि या आई ई सी सामग्रियों को उपलब्ध कराने के रूप में होगी।

4. पात्र संगठन

सरकारी विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों सहित ऐसी केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियां/ उपभोक्ता संगठन, गैर-सरकारी संगठन और अन्य संस्थान जिनके पास खाद्य संरक्षा से संबंधित क्षेत्र में कम-से-कम पाँच वर्ष के अनुभव हों।

5. आवेदन कैसे करें :

संलग्नक I में दिए गए फॉरमेट में पात्र संगठन द्वारा आवेदन दिया जाए। आवेदन के साथ संलग्नक -II में उल्लिखित दस्तावेज़ संलग्न होना चाहिए।

6. प्रस्ताव का संसाधन (प्रोसेसिंग)

आवेदन की जांच तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी जिसमें आंतरिक और बाहरी विशेषज्ञ होंगे और आवेदन को 60 दिनों के भीतर परिणाम की सूचना दी जाएगी कि प्राधिकरण के अधिदेश और खाद्य संरक्षा को बढ़ावा देने की उपयोगिता के अंतर्गत आवेदन को अनुमोदित किया गया है या नहीं। एफ. एस. एस. ए. आई. अपने विवेक से ऐसे अन्य संगठनो या एजेंसियों या खाद्य सुरक्षा आयुक्त (आयुक्तों) से परामर्श कर सकता है जिसे वह आवश्यक मानता है और ऐसे परामर्श में लगे समय को पूर्व वर्णित 60 दिनों की सीमा में नहीं गिना जाएगा। संबंधित राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त को किसी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में मंजूर किसी परियोजना से अवगत रखा जाएगा।

7. समय ढांचा

इस योजना में परियोजनाएं शामिल होंगी जिनका निष्पादन सामान्य रूप से 06 महीने या उससे कम अवधि में किया जाएगा।

8. वित्तीय सहायता का पैमाना

8.1 प्रत्येक मामले में उप-पैरा 3.1 के अधीन अवयवों के संबंध में वित्तीय सहायता 25.00 लाख रुपए (पच्चीस लाख रुपए मात्र) तक सीमित होगी जो अध्ययन सर्वेक्षण की पहुँच, परियोजना की वास्तविक लागत के अनुसार, जो भी कम हो, पर निर्भर करेगा।

8.2 प्रत्येक मामले में उप-पैरा 3.2 के अधीन वर्णित अवयवों के संबंध में वित्तीय सहायता की सीमा 15.00 लाख रुपए (पंद्रह लाख रुपए) तक सीमित होगी या परियोजना की वास्तविक लागत के अनुसार होगी।

8.3 उप-पैरा 3.2 के अवयवों के संबंध में वित्तीय सहायता के सीमा प्रति विद्यालय/ महाविद्यालय (छात्रों की कुल संख्या प्रतिविद्यालय/महाविद्यालय 250 से कम नहीं होनी चाहिए 2.00 लाख रुपए होगी। छात्रों की संख्या की गणना के प्रयोजन से एक से अधिक विद्यालय/महविद्यालय को एक इकाई मानी जा सकती है।

8.4 उप-पैरा 3.3 के अधीन वित्तीय सहायता/ सहभागिता की लागत की सीमा 5.00 लाख रुपए (पाँच लाख रुपए मात्र) या वास्तविक लागत के अनुसार प्रत्येक मामले मे जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

9. भुगतान शर्तें:

क्रम सं	किस्त	भुगतान करना
(i)	प्रथम	अनुबंध / एम ओ यू पर हस्ताक्षर होने के बाद कुल अनुमोदित सहायता का 30% (अग्रिम रूप में)
(ii)	दूसरी	प्रथम किस्त के उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू सी) को प्रस्तुत करने के बाद कुल अनुमोदित सहायता का 40% नोट : यदि प्रधम किस्त के अंतर्गत जारी राशि के 50% के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है तो दूसरी किस्त का भी भुगतान किया जा सकता है और अव्ययित राशि समायोजन अंतिम भुगतान के लिए किया जाएगा।
(iii)	तीसरी	परियोजना के समापन, चार्टर एकाउंटेंट (सी ए) से विधिवत प्रमाणित आय-व्यय विवरण को प्रस्तुत करने, अंतिम रिपोर्ट तथा लक्ष्य समूह से फीड बैक के उपरांत कुल अनुमोदित सहायता का 30%

10. 25.00 लाख रूपये (पच्चीस लाख रूपये मात्र) से अधिक लागत वाली किसी भी परियोजना को रुचि की अभिव्यक्ति (ई. ओ. आई.) निविदा प्रक्रिया द्वारा प्रारंभ की जाएगी।

11. एफ. एस. एस. ए. आई. प्रस्ताव को आंशिक रूप से / या पूर्ण रूप से बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

12. शिथिलन की शक्ति

" खाद्य प्राधिकरण" विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिश पर विशेष मामलों में इस योजना के किसी उपबंध को शिथिल कर सकता है।

आवेदन फार्म

1 परियोजना प्रस्ताव का शीर्षक

2 संगठन / संस्थान का नाम एवं पता संपर्क विवरण सहित

3 संगठन की मुख्य गतिविधियां

4 संगठन में उपलब्ध जनशक्ति (तकनीकी एवं गैर तकनीकी के ब्यौरे

5 परियोजना प्रस्ताव के उद्देश्य (3 पृष्ठ से अधिक नहीं)

6 प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन (स्पष्ट रूप से दी गई समय सीमा सहित) के लिए कार्य योजना

7 व्यय के अलग-अलग ब्यौरे सहित अनुमानित व्यय

8 निधिकरण के स्रोत्र

एफ. एस. एस. ए. आई. से प्रत्याशित सहायता	
संगठन का अपना अंशदान	
अन्य स्रोत्रो से आय	

9 परियोजना की प्रत्याशित सुपुर्दगी

10 परियोजना के पूरा होने का बाद खाद्य संरक्षा को प्रत्याशित अंशदान या मात्रात्मक पदों में परियोजना का प्रभाव (1 पृष्ठ से अधिक नहीं)

11 सफलतापूर्वक पूरा की गई ऐसी सदृश परियोजना यदि कोई हो, का अनुभव एवं क्षमता जो संगठन को परियोजना प्रदान करने को उचित सिद्ध करेगा ।

दिनांक

नाम /पदनाम सहित हस्ताक्षर
(संगठन की मोहर)

नोट:-

(क) उपयुक्त फॉरमेट संरूप में प्रस्ताव मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एफ एस एस ए आई, एफ डी ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 को भेजा जाए।

(ख) एफ एस एस ए आई आंशिक रूप/ पूर्ण रूप से प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़

1 संगठन का पंजीकरण प्रमाणपत्र और इसका उद्देश्य

2 संगठन का पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट

3 परियोजना को सहायता करने वाले संगठन में उपलब्ध संसाधक व्यक्तियों के ब्योरो

4 संलग्नक- I के अनुसार सौंपे जाने वाले अन्य सभी दस्तावेज़

5 इस आशय की स्वघोषणा/ वचनबंध कि

(क) इस परियोजना प्रस्ताव को वित्तीय सहायता के लिए किसी अन्य एजेंसी को नहीं सौंपा गया है।

(ख) परियोजना को विनिर्दिष्ट समय में पूरा कर लिया जाएगा और सुपुर्दगी योग्य सामग्री एफ एस एस ए आई को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ग) उपयोगिता/प्रभाविता से संबंधित फीडबैक लाभार्थियों से एकत्र किए जाएंगे और इन्हें अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

******